

Roll. No. ....

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

**B.A.LL.B (HONOURS)(SEM.-IX) EXAMINATION, 2022**  
**( For Regular, Exempted & Back Paper Students )**  
**LAND LAWS INCLUDING TENURE**  
**AND TENANCY SYSTEM**  
**( BALLB908 )**

Paper Code			
1	0	3	3

Question Booklet  
Series

**C**

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 100

**Instructions to the Examinee :**

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer any 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 75 questions are attempted by student, then the first attempted 75 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

**(Remaining instructions on last page)**

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :**

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 75 प्रश्नों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।

**(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)**



1. After finalisation of record of rights, who shall prepare new record of right for each village ?  
 (A) S.D.O.  
 (B) Assistant Record Officer  
 (C) Collector  
 (D) Tehsildar
2. The new record of rights shall be maintained by whom ?  
 (A) Tehsildar  
 (B) Naib Tehsildar  
 (C) Collector  
 (D) Commissioner
3. Section 59 deals with :  
 (A) Entrustment of land, etc. to Gram Panchayats and other local authorities  
 (B) Mutation  
 (C) Kisan Bahi  
 (D) Khatauni
4. What things can be entrusted to a Gram Panchayat or other local authority for the purposes of superintendence, management and control in accordance with the provisions of this code ?  
 (A) Lands, whether cultivable or otherwise  
 (B) Pasture land  
 (C) Forests and Fisheries  
 (D) All of the above
5. Which is not the function and duties of the Bhumi Prabandhak Samiti ?  
 (A) The Settlement and Management of Land  
 (B) The Management of Hats, Bazars  
 (C) The Development of Cottage Industries  
 (D) Collection of Land Revenue
1. अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, प्रत्येक ग्राम के लिए नया अधिकार अभिलेख कौन तैयार करेगा ?  
 (A) उप-खण्ड अधिकारी  
 (B) सहायक अभिलेख अधिकारी  
 (C) कलेक्टर  
 (D) तहसीलदार
2. नया अधिकार अभिलेख किसके द्वारा बनाया जाएगा ?  
 (A) तहसीलदार  
 (B) नायब तहसीलदार  
 (C) कलेक्टर  
 (D) आयुक्त
3. धारा 59 संबंधित है :  
 (A) ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना  
 (B) नामान्तरण  
 (C) किसान बही  
 (D) खतौनी
4. कौन-सी चीजें हैं जिन्हें किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियन्त्रण के प्रयोजनों के लिए सौंपा जा सकता है ?  
 (A) भूमि जो खेती योग्य हो या अन्यथा  
 (B) चारागाह  
 (C) वन और मत्स्य क्षेत्र  
 (D) उपरोक्त सभी
5. वे कौन-से कृत्य और कर्तव्य हैं जो भूमि प्रबन्धक समिति के नहीं हैं ?  
 (A) भूमि का बन्दोबस्त और प्रबन्धन  
 (B) हाटों, बाजारों का प्रबन्धन  
 (C) कुटीर उद्योगों का विकास  
 (D) भू-राजस्व का संग्रहण

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. Under the code, who have exclusive power to review any order passed by itself ?</p> <p>(A) Collector</p> <p>(B) Commissioner</p> <p>(C) Board of Revenue</p> <p>(D) State Government</p>  | <p>6. संहिता के अन्तर्गत किसे अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ?</p> <p>(A) कलेक्टर</p> <p>(B) आयुक्त</p> <p>(C) राजस्व परिषद</p> <p>(D) राज्य सरकार</p>   |
| <p>7. What are the grounds for reviewing any order under the code ?</p> <p>(A) Discovery of any new and important matter</p> <p>(B) Some mistake or error apparent on the face of record</p> <p>(C) Any other sufficient reason</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>7. संहिता के अधीन पारित किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आधार क्या है ?</p> <p>(A) किसी नई एवं महत्वपूर्ण मामलों की खोज</p> <p>(B) अभिलेखों को देखने से ही प्रकट कोई गलती या त्रुटि</p> <p>(C) कोई अन्य पर्याप्त कारण</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>8. Who can bring declaratory suits for a declaration of his rights in such holdings ?</p> <p>(A) Bhumidhar</p> <p>(B) Asami</p> <p>(C) Gram Panchayat</p> <p>(D) All of the above</p>  | <p>8. ऐसी जोत में अपने अधिकार की घोषणा के लिए कौन घोषणात्मक वाद ला सकता है ?</p> <p>(A) जोतदार/भूमिधर</p> <p>(B) असामी</p> <p>(C) ग्राम पंचायत</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p>  |
| <p>9. A person, who holds any land on lease from the State Government and such lease was granted before the commencement of this code, shall be called :</p> <p>(A) Asami</p> <p>(B) Government lessee</p> <p>(C) Thekedar</p> <p>(D) Bhumidhar</p>             | <p>9. एक व्यक्ति, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि है और ऐसा पट्टा इस संहिता के पूर्व दिया गया है, कहा जाएगा :</p> <p>(A) असामी</p> <p>(B) सरकारी ठेकेदार</p> <p>(C) ठेकेदार</p> <p>(D) भूमिधर</p>                           |
| <p>10. The unpaid land revenue of any holding shall be first charged on :</p> <p>(A) Such person</p> <p>(B) Such holding</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) Neither (A) nor (B)</p>   | <p>10. किसी जोत का बकाया भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा :</p> <p>(A) उस व्यक्ति पर</p> <p>(B) उस जोत पर</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) ना तो (A) ना ही (B)</p>  |

11. In the case of map correction, the Tehsildar shall refer the case alongwith its report to :

- (A) Board of Revenue
- (B) S.D.O.
- (C) Commissioner
- (D) Collector

12. Who may correct any undisputed error or omission in the record of rights or khasara in such manner and after making such inquiry, as may be prescribed ?

- (A) Revenue Inspector
- (B) Collector
- (C) Tehsildar
- (D) S.D.O.

13. The provision record Kisan Bahi is provided under :

- (A) Section 38
- (B) Section 41
- (C) Section 45
- (D) Section 51

14. When a record of rights is prepared, who shall cause to be supplied to every tenure-holder a Kisan Bahi containing particulars ?

- (A) S.D.O.
- (B) Commissioner
- (C) Collector
- (D) State Government

15. The Kisan Bahi shall be a\_\_\_\_\_for all the holdings held by a tenure-holder in the district.

- (A) Bank Pass-book
- (B) Record of Rights
- (C) Statement
- (D) Consolidated Pass-book

11. नक्शा में संशोधन संबंधी मामले में, तहसीलदार अपनी रिपोर्ट के साथ मामले को निर्दिष्ट करेगा :

- (A) राजस्व परिषद को
- (B) उप-खण्ड अधिकारी को
- (C) आयुक्त को
- (D) कलेक्टर को

12. कौन अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जाँच, जो विहित की जाए, करने के बाद ठीक कर सकेगा ?

- (A) राजस्व निरीक्षक
- (B) कलेक्टर
- (C) तहसीलदार
- (D) उप-खण्ड अधिकारी

13. किसान बही के बारे में प्रावधान दिया गया है :

- (A) धारा 38
- (B) धारा 41
- (C) धारा 45
- (D) धारा 51

14. जब अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, कौन प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा ?

- (A) उप-खण्ड अधिकारी
- (B) आयुक्त
- (C) कलेक्टर
- (D) राज्य सरकार

15. किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में एक\_\_\_\_\_।

- (A) बैंक पास-बुक
- (B) अधिकार अभिलेख
- (C) कथन
- (D) समेकित जोत-बही

- |  |   |
|--|---|
| <p>16. Provision regarding superintendence, management and control by Bhumi Prabandhak Samiti is given under :</p> <p>(A) Section 59<br/>(B) Section 60<br/>(C) Section 75<br/>(D) Section 100</p>   | <p>16. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियन्त्रण से संबंधित प्रावधान है :</p> <p>(A) धारा 59 में<br/>(B) धारा 60 में<br/>(C) धारा 75 में<br/>(D) धारा 100 में</p>   |
| <p>17. Provision regarding management of village tanks is given under :</p> <p>(A) Section 60<br/>(B) Section 61<br/>(C) Section 74<br/>(D) Section 75</p>   | <p>17. ग्राम तालाबों के प्रबन्धन से संबंधित प्रावधान हैं :</p> <p>(A) धारा 60 में<br/>(B) धारा 61 में<br/>(C) धारा 74 में<br/>(D) धारा 75 में</p>   |
| <p>18. If the area of the tank measures 0.5 acre or less, then it shall be reserved for_____by the hihabitants of the village.</p> <p>(A) Non-public use<br/>(B) Public use<br/>(C) Commercial use<br/>(D) All of the above</p>  | <p>18. अगर तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहाँ तालाब को ग्राम के निवासियों द्वारा_____ आरक्षित रखा जाएगा।</p> <p>(A) गैर-लोक कार्य<br/>(B) लोक कार्य<br/>(C) औद्योगिक कार्य<br/>(D) उपरोक्त सभी</p>   |
| <p>19. Who shall be charged, for and on behalf of the Gram Panchayat with the superintendence, preservation, management and control of all land and other things entrusted to the G.P. under Section 59 of the code ?</p> <p>(A) Gram Sabha<br/>(B) Panchayat Samiti<br/>(C) Bhumi Prabandhak Samiti<br/>(D) Collector</p> | <p>19. इस संहिता के धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत के निमित और उस ग्राम पंचायत को सौंपी गई समस्त और अन्य चीजों के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियन्त्रण का कार्य किसे प्रभारित किया जाएगा ?</p> <p>(A) ग्राम सभा<br/>(B) पंचायत समिति<br/>(C) भूमि प्रबन्धक समिति<br/>(D) कलेक्टर</p> |
| <p>20. Who may appoint Standing Counsel (Revenue) for High Court ?</p> <p>(A) Board of Revenue<br/>(B) High Court<br/>(C) State Government<br/>(D) Collector</p>   | <p>20. उच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ता (राजस्व) की नियुक्ति कौन करेगा ?</p> <p>(A) राजस्व परिषद<br/>(B) उच्च न्यायालय<br/>(C) राज्य सरकार<br/>(D) कलेक्टर</p>   |

- |   |  |
|---|--|
| <p>21. Who shall be liable to pay such cost for the Kisan Bahi ?</p> <p>(A) Tenure-holder<br/>(B) State Government<br/>(C) Collector<br/>(D) All of the above</p> <p>22. Procedure regarding revision of map and records is given under :</p> <p>(A) Section 45<br/>(B) Section 49<br/>(C) Section 35<br/>(D) Section 71</p> <p>23. When any local area is under survey operation who may issue a proclamation directing all Gram Panchayat and Bhumidhars to erect such boundary marks, as he may think necessary to define the limits of the villages and fields ?</p> <p>(A) S.D.O.<br/>(B) Tehsildar<br/>(C) Record Officer<br/>(D) Revenue Inspector</p> <p>24. After the test and verification of the current record of rights, who shall correct clerical mistakes and errors, if any, in such records ?</p> <p>(A) S.D.O.<br/>(B) Tehsildar<br/>(C) Record Officer<br/>(D) Naib Tehsildar</p> <p>25. Whether the code provide to settle the disputes by conciliation between the parties ?</p> <p>(A) Yes<br/>(B) No<br/>(C) Not clear<br/>(D) Under Arbitration and Conciliation Act</p> | <p>21. किसान बही के लिए ऐसे मूल्य का भुगतान करने का उत्तरदायी कौन होगा ?</p> <p>(A) खातेदार<br/>(B) राज्य सरकार<br/>(C) कलेक्टर<br/>(D) उपरोक्त सभी</p> <p>22. मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया दी गई है :</p> <p>(A) धारा 45 में<br/>(B) धारा 49 में<br/>(C) धारा 35 में<br/>(D) धारा 71 में</p> <p>23. जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, तो कौन सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गाँवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करे, जैसा वह आवश्यक समझे ?</p> <p>(A) उप-खण्ड अधिकारी<br/>(B) तहसीलदार<br/>(C) अभिलेख अधिकारी<br/>(D) राजस्व निरीक्षक</p> <p>24. चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात् कौन ऐसे अभिलेख में लेखन संबंधी भूलों और त्रुटियों को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा ?</p> <p>(A) उप-खण्ड अधिकारी<br/>(B) तहसीलदार<br/>(C) अभिलेख अधिकारी<br/>(D) नायब तहसीलदार</p> <p>25. क्या संहिता पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवादों के निपटारा की अनुमति देता है ?</p> <p>(A) हाँ<br/>(B) नहीं<br/>(C) स्पष्ट नहीं<br/>(D) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अधीन</p> |
|---|--|

26. Provisions regarding mutation in cases of succession is given under :
- Section 32
  - Section 34
  - Section 33
  - Section 18
27. A person who is aggrieved by the order passed by the Revenue Inspector for mutation in cases of succession then the remedy available is :
- To file an appeal before Collector
  - To apply for Revision
  - To file a writ before High Court
  - To move an application before Tehsildar
28. Every person obtaining possession of any land by transfer, other than a transfer referred to in Sub-section (3) of Section 33, to whom ?
- S.D.O. of Sub-division
  - Collector of District
  - State Government
  - Tehsildar of Tehsil in which land is situated
29. Who may fix a scale of fees for getting entry recorded in the record of rights on the basis of transfer in mutation cases ?
- State Government
  - Collector
  - S.D.O.
  - Tehsildar
30. The procedure regarding mutation in cases of succession or transfer is given in :
- Section 35
  - Section 33
  - Section 38
  - Section 40
26. उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण से संबंधित प्रावधान दिया गया है :
- धारा 32 में
  - धारा 34 में
  - धारा 33 में
  - धारा 18 में
27. एक व्यक्ति जो राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण के आदेश से व्यथित हो को उपलब्ध उपचार है :
- कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करना
  - पुनरीक्षण दायर करना
  - उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर करना
  - तहसीलदार के समक्ष आवेदन करना
28. धारा 33 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट किसको देगा ?
- सब-डिवीजन के उप-खण्ड अधिकारी को
  - जिला के कलेक्टर को
  - राज्य सरकार को
  - उस तहसील के तहसीलदार को जिसमें भूमि स्थित है
29. नामान्तरण के मामलों में अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए कौन शुल्क का मानक नियत कर सकता है ?
- राज्य सरकार
  - कलेक्टर
  - उप-खण्ड अधिकारी
  - तहसीलदार
30. उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा नामान्तरण से संबंधित प्रक्रिया दी गई है :
- धारा 35 में
  - धारा 33 में
  - धारा 38 में
  - धारा 40 में



- |   |   |
|---|---|
| <p>31. Who may appoint Panel Lawyers (Revenue) for every Tehsil ?</p> <p>(A) Board of Revenue</p> <p>(B) Commissioner</p> <p>(C) Collector</p> <p>(D) State Government</p>  | <p>31. प्रत्येक तहसील के लिए पैनल अधिवक्ताओं (राजस्व) की नियुक्ति कौन करेगा ?</p> <p>(A) राजस्व परिषद</p> <p>(B) आयुक्त</p> <p>(C) कलेक्टर</p> <p>(D) राज्य सरकार</p>   |
| <p>32. Provision regarding Standing Counsel is given under :</p> <p>(A) Section 69</p> <p>(B) Section 72</p> <p>(C) Section 95</p> <p>(D) Section 117</p>   | <p>32. स्थायी अधिवक्ता के बारे में प्रावधान दिया गया है :</p> <p>(A) धारा 69 में</p> <p>(B) धारा 72 में</p> <p>(C) धारा 95 में</p> <p>(D) धारा 117 में</p>  |
| <p>33. Whether Gram Panchayat shall engage any legal practitioner of their choice under the code ?</p> <p>(A) No</p> <p>(B) Yes</p> <p>(C) Can't say</p> <p>(D) Prior permission of State Government</p>  | <p>33. क्या ग्राम पंचायत इस संहिता के अन्तर्गत अपनी पसंद के विधि व्यवसायी को नियुक्त कर सकता है ?</p> <p>(A) नहीं</p> <p>(B) हाँ</p> <p>(C) कह नहीं सकता</p> <p>(D) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से</p>   |
| <p>34. Not withstanding anything contained in any law for the time in force and subject to provision of this code, no Civil Court shall entertain any suit, application or proceeding to obtain a decision or order in any matter which Revenue Court or Revenue has empower to decide is given under :</p> <p>(A) Section 206</p> <p>(B) Section 207</p> <p>(C) Section 208</p> <p>(D) Section 210</p> | <p>34. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु उस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद्, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी निर्णय करने के लिए सशक्त हैं, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा, दिया गया है :</p> <p>(A) धारा 206 में</p> <p>(B) धारा 207 में</p> <p>(C) धारा 208 में</p> <p>(D) धारा 210 में</p> |

35. Who is authorised to issue proclamation and make inquiry regarding mutation ?  
 (A) S.D.O.  
 (B) Collector  
 (C) Commissioner  
 (D) Tehsildar
36. If any document, create, assign or extinguish any title or any charge on land in respect of which a record of rights is prepared, is registered under The Registration Act, 1908, to whom registering authority shall send intimation ?  
 (A) Tehsildar within whose jurisdiction land is situated  
 (B) Collector of district  
 (C) Naib Tehsildar within whose jurisdiction land is situated  
 (D) All of the above
37. If a person obtaining possession of any land by succession of or transfer and have not made a report under Section 33 or Section 44. Can he bring a suit ?  
 (A) Yes  
 (B) No  
 (C) Not clear  
 (D) Subject to discretion of Revenue Court
38. An application for correction of any error or omission in the Map, Khasara or Khatauni shall be made to whom ?  
 (A) Board of Revenue  
 (B) Collector  
 (C) Tehsildar  
 (D) None of these
35. नामांतरण से संबंधित मामलों में उद्घोषणा जारी करने और जाँच करने के लिए कौन प्राधिकृत है ?  
 (A) उप-खण्ड अधिकारी  
 (B) कलेक्टर  
 (C) आयुक्त  
 (D) तहसीलदार
36. अगर कोई दस्तावेज भूमि पर किसी हक या भार को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके संबंध में अधिकार अभिलेख बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कराया गया है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसको सूचना भेजेगा ?  
 (A) तहसीलदार जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है  
 (B) जिले का कलेक्टर  
 (C) नायब तहसीलदार जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है  
 (D) उपरोक्त सभी
37. कोई व्यक्ति उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है और उसने धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न किया हो, क्या वह वाद संस्थापित कर सकता है ?  
 (A) हाँ  
 (B) नहीं  
 (C) स्पष्ट नहीं  
 (D) राजस्व कोर्ट के विवेक के अधीन
38. नक्शा, खसरा या खतौनी में किसी गलती या लोप के सुधार के लिए किसको प्रार्थना-पत्र दिया जाएगा ?  
 (A) राजस्व परिषद  
 (B) कलेक्टर  
 (C) तहसीलदार  
 (D) इनमें से कोई नहीं

39. Who may call for record of any suit or proceeding decided by any Subordinate Revenue Court in which no appeal lies ?
- (A) The Board  
(B) The Commissioner  
(C) Both (A) and (B)  
(D) Collector
40. Provision for first appeal is given in :
- (A) Section 210  
(B) Section 195  
(C) Section 200  
(D) Section 207
41. Under the code, second appeal shall be entertain by Appellate Court only if :
- (A) It involves a substantial question of law  
(B) It involves a substantial question of facts  
(C) It involves a mixed question of fact and law  
(D) It involves revenue matter
42. The period of limitation for filing second appeal under Section 208 is :
- (A) Thirty days  
(B) Sixty days  
(C) Ninty days  
(D) Hundred days
43. The period of limitation for filing a first appeal under the Section 207 is :
- (A) Fifteen days  
(B) Thirty days  
(C) Sixty days  
(D) Ninty days
39. किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का जिसमें कोई अपील नहीं होती है में किसे अभिलेख मँगाने की शक्ति है ?
- (A) राजस्व परिषद  
(B) आयुक्त  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) कलेक्टर
40. प्रथम अपील से संबंधित प्रावधान है :
- (A) धारा 210 में  
(B) धारा 195 में  
(C) धारा 200 में  
(D) धारा 207 में
41. संहिता में, अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर विचार करेगा अगर :
- (A) मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है  
(B) मामले में तथ्य का सारवान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है  
(C) मामले में तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है  
(D) मामले में राजस्व का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है
42. द्वितीय अपील दायर करने की परिसीमा अवधि धारा 208 के अन्तर्गत है :
- (A) तीस दिन  
(B) साठ दिन  
(C) नब्बे दिन  
(D) सौ दिन
43. धारा 207 के अधीन प्रथम अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि है :
- (A) पन्द्रह दिन  
(B) तीस दिन  
(C) साठ दिन  
(D) नब्बे दिन

44. An arrear of land revenue may be recovered by which process ?
- (A) By arrest and detention of the defaulter
- (B) By attachment of any bank account of defaulter
- (C) By appointing a receiver of any property of the defaulter
- (D) All of the above
45. Who are exempted from being arrest and detention for arrear of land revenue under the code ?
- (A) Woman
- (B) Minor
- (C) Senior citizen of 65 years
- (D) All of the above
46. To whom a bhumidhar may surrender his interest in any holding ?
- (A) S.D.O.
- (B) Collector
- (C) Tehsildar
- (D) Lekhpal
47. When a Bhumidhar does not pay the land revenue and [does not use the land for agriculture] for a continuous period of 3 agricultural years and has left the village. This is called :
- (A) Abandonment
- (B) Surrender
- (C) Lease of Land
- (D) Mutation
48. Who can bequest his interest in any holding by will ?
- (A) Bhumidhar with transferable rights
- (B) Bhumidhar with non-transferable rights
- (C) Asami
- (D) Government Lessee
44. भू-राजस्व के बकाया को किस प्रक्रिया द्वारा वसूला जा सकता है ?
- (A) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके
- (B) व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की करके
- (C) व्यतिक्रमी के किसी सम्पत्ति का रिसीवर की नियुक्ति करके
- (D) उपरोक्त सभी
45. इस संहिता के अन्तर्गत किसे भू-राजस्व के बकाया के लिए गिरफ्तारी और निरोध से छूट प्राप्त है ?
- (A) महिला
- (B) नाबालिग
- (C) वरिष्ठ नागरिक जो 65 वर्ष से अधिक है
- (D) उपरोक्त सभी
46. भूमिधर किसी जोत में अपने हित का समर्पण किसे करेगा ?
- (A) उप-खण्ड अधिकारी
- (B) कलेक्टर
- (C) तहसीलदार
- (D) लेखपाल
47. यदि कोई भूमिधर लगातार तीन कृषि वर्ष की अवधि तक भू-राजस्व का भुगतान न करे और (उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग न करे) और वह उस ग्राम को छोड़ दे। यह घटना कही जाएगी :
- (A) परित्याग
- (B) समर्पण
- (C) भूमि को पट्टे पर देना
- (D) नामान्तरण
48. किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा कौन वसीयत कर सकता है ?
- (A) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- (B) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर
- (C) असामी
- (D) सरकारी पट्टेदार

49. There is claim outstanding on any Revenue Officer for public money or papers of the State Government in his charge, who has authority to require such money or particular papers ?
- (A) Collector of the concern district  
(B) State Government  
(C) Sub-Divisional Officer  
(D) None of these
50. If the order regarding recovery of money, papers and other government property does not comply as directed, what penalty shall be imposed ?
- (A) Penalty of Rs. 100/- each day  
(B) Penalty of Rs. 250/- each day  
(C) Penalty of Rs. 1000/- each day  
(D) Imprisonment upto six months
51. Lekhpal can be appointed by :
- (A) Tehsildar  
(B) Revenue Inspector  
(C) Collector  
(D) State Government
52. The boundaries and boundary marks has been given under which chapter ?
- (A) Chapter III  
(B) Chapter IV  
(C) Chapter V  
(D) Chapter VI
53. If any boundary mark is destroyed or damaged, who shall conduct an enquiry on report of Lekhpal ?
- (A) Lekhpal  
(B) S.D.O.  
(C) Naib Tehsildar  
(D) Tehsildar
49. ऐसे मामले जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर, उसके प्रभार में राज्य सरकार के रखे गए, लोक धन या कागज पत्र के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे धन या कागज पत्र की अपेक्षा कौन कर सकेगा ?
- (A) संबंधित जिले का जिलाधिकारी  
(B) राज्य सरकार  
(C) उप-खण्ड अधिकारी  
(D) इनमें से कोई नहीं
50. अगर सरकारी पैसे, पेपर और दूसरे सरकारी सम्पत्ति से संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, जैसा कि निर्देशित है तो क्या शास्ति आरोपित की जाएगी ?
- (A) 100 रुपये प्रतिदिन की शास्ति  
(B) 250 रुपये प्रतिदिन की शास्ति  
(C) 1000 रुपये प्रतिदिन की शास्ति  
(D) छः महीने कारावास की सजा
51. लेखपाल की नियुक्ति कर सकता है :
- (A) तहसीलदार  
(B) राजस्व निरीक्षक  
(C) कलेक्टर  
(D) राज्य सरकार
52. सीमा और सीमा चिन्ह से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में दिए गए हैं ?
- (A) अध्याय III  
(B) अध्याय IV  
(C) अध्याय V  
(D) अध्याय VI
53. अगर किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया गया या नुकसान पहुँचाया गया हो, तो लेखपाल की रिपोर्ट पर कौन जाँच करेगा ?
- (A) लेखपाल  
(B) उप-खण्ड अधिकारी  
(C) नायब तहसीलदार  
(D) तहसीलदार

54. 'The village abadi' means area is a village which is being used for the purpose of :
- (A) Residence of its inhabitance  
(B) Sahan and green trees, wells, etc.  
(C) Both (A) and (B)  
(D) Only (A)
55. According to the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, the term 'Board' refer to :
- (A) Board of Registration  
(B) Board of Revenue  
(C) Board of Regulation  
(D) None of these
56. If any dispute arising as to rights of way by which a tenure-holder shall have access to his land, who is competent authority to decide the case ?
- (A) Collector  
(B) Commissioner  
(C) Naib Tehsildar  
(D) Tehsildar
57. Who can exercise revisional powers regarding disputes relating to rights of way or removal of obstacle over public road of a village ?
- (A) S.D.O.  
(B) Naib Tehsildar  
(C) Collector  
(D) Commissioner
58. Provision regarding disposal of dispute relating to other easementary right is given in :
- (A) Section 24  
(B) Section 25  
(C) Section 26  
(D) Section 28
54. 'ग्रामीण आबादी' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग :
- (A) उसके निवासियों के आवास प्रयोजनों के लिए जा रहा हो  
(B) सहन व हरे वृक्षों, कुआँ आदि के लिए किया जा रहा हो  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) केवल (A)
55. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अनुसार शब्द 'परिषद' इंगित करता है :
- (A) पंजीकरण परिषद  
(B) राजस्व परिषद  
(C) विनियमन परिषद  
(D) इनमें से कोई नहीं
56. ऐसे मार्ग (सार्वजनिक सड़क से भिन्न) के संबंध में जिसमें कोई खातेदार अपनी भूमि पर पहुँच सके के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी कौन है जो मामले का निस्तारण करेगा ?
- (A) कलेक्टर  
(B) आयुक्त  
(C) नायब तहसीलदार  
(D) तहसीलदार
57. गाँव के सार्वजनिक सड़क से संबंधित मार्गाधिकार या अवरोध को हटाए जाने से संबंधित विवाद के बारे में पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा ?
- (A) उप-खण्ड अधिकारी  
(B) नायब तहसीलदार  
(C) कलेक्टर  
(D) आयुक्त
58. अन्य सुखाचार से संबंधित विवादों के निस्तारण से संबंधित प्रावधान दिया गया है :
- (A) धारा 24 में  
(B) धारा 25 में  
(C) धारा 26 में  
(D) धारा 28 में

59. The term 'Revenue Officer' does not include :  
 (A) Commissioner  
 (B) Chief Revenue Officer  
 (C) Lekhpal  
 (D) Settlement Officer
60. 'Agricultural Year' commences from :  
 (A) 1st July  
 (B) 1st October  
 (C) 1st January  
 (D) 1st April
61. The term 'Agricultural Year' is also known as :  
 (A) New year  
 (B) Fasli year  
 (C) Pongal year  
 (D) None of these
62. The provision regarding 'Board of Revenue' in code was enforced since :  
 (A) 18th December, 2015  
 (B) 11th February, 2016  
 (C) 1st December, 2006  
 (D) 1st November, 2016
63. 'Board of Revenue' for U.P. shall consist of :  
 (A) A chairman and two other members  
 (B) A chairman and five other members  
 (C) A chairman and such other members  
 (D) A chairman and ten other members
64. Who shall appoint Chairman and Members for Board of Revenue ?  
 (A) High Court  
 (B) Central Government  
 (C) State Government  
 (D) President
59. 'राजस्व अधिकारी' शब्द में क्या शामिल नहीं है ?  
 (A) आयुक्त  
 (B) मुख्य राजस्व अधिकारी  
 (C) लेखपाल  
 (D) बन्दोबस्त अधिकारी
60. 'कृषि वर्ष' प्रारम्भ होता है :  
 (A) 1 जुलाई से  
 (B) 1 अक्टूबर से  
 (C) 1 जनवरी से  
 (D) 1 अप्रैल से
61. 'कृषि वर्ष' इस नाम से भी जाना जाता है :  
 (A) नव वर्ष  
 (B) फसली वर्ष  
 (C) पोंगल वर्ष  
 (D) इनमें से कोई नहीं
62. संहिता में 'राजस्व बोर्ड' के बारे में जो प्रावधान है, लागू हुए थे :  
 (A) 18 दिसम्बर, 2015 से  
 (B) 11 फरवरी, 2016 से  
 (C) 1 दिसम्बर, 2006 से  
 (D) 1 नवम्बर, 2016 से
63. उ.प्र. के लिए राजस्व बोर्ड/राजस्व परिषद का गठन होगा :  
 (A) एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य  
 (B) एक अध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य  
 (C) एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य  
 (D) एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य
64. राजस्व परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा ?  
 (A) उच्च न्यायालय  
 (B) केन्द्र सरकार  
 (C) राज्य सरकार  
 (D) राष्ट्रपति

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 65. | Who shall exercise authority over all the Revenue Officers in his division ?<br>(A) Board of Revenue<br>(B) Commissioner<br>(C) Collector<br>(D) State Government | 65. | अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग कौन करेगा ?<br>(A) राजस्व परिषद<br>(B) आयुक्त<br>(C) कलेक्टर<br>(D) राज्य सरकार |
| 66. | Who may appoint Additional Commissioners in divisions ?<br>(A) Board of Revenue<br>(B) Commissioner<br>(C) State Government<br>(D) Central Government             | 66. | मण्डलों में अपर आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा ?<br>(A) राजस्व परिषद<br>(B) आयुक्त<br>(C) राज्य सरकार<br>(D) केन्द्र सरकार                    |
| 67. | Who shall be In-charge of the Revenue Administration in each district ?<br>(A) Commissioner<br>(B) Collector<br>(C) Additional Collector<br>(D) Board of Revenue  | 67. | प्रत्येक जिलों में राजस्व प्रशासन का प्रभारी कौन होगा ?<br>(A) आयुक्त<br>(B) कलेक्टर<br>(C) अपर कलेक्टर<br>(D) राजस्व परिषद                 |
| 68. | Who may appoint Tahsildar Judicial in each district ?<br>(A) Board of Revenue<br>(B) High Court<br>(C) State Government<br>(D) Collector                          | 68. | प्रत्येक जिलों में तहसीलदार (न्यायिक) की नियुक्ति कौन करेगा ?<br>(A) राजस्व परिषद<br>(B) उच्च न्यायालय<br>(C) राज्य सरकार<br>(D) कलेक्टर    |
| 69. | Provision regarding appointment of Naib-Tahsildars is given in :<br>(A) Section 11<br>(B) Section 12<br>(C) Section 14<br>(D) Section 15                          | 69. | नायब तहसीलदार की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है :<br>(A) धारा 11 में<br>(B) धारा 12 में<br>(C) धारा 14 में<br>(D) धारा 15 में             |
| 70. | Who may appoint Revenue Inspectors in each Tehsil ?<br>(A) Collector<br>(B) Commissioner<br>(C) State Government<br>(D) Board of Revenue                          | 70. | प्रत्येक तहसील में राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा ?<br>(A) कलेक्टर<br>(B) आयुक्त<br>(C) राज्य सरकार<br>(D) राजस्व परिषद              |



71. Which Section provides that Bhumidhari rights not to accrue in certain lands under the Revenue Code, 2006 ?  
 (A) Section 77  
 (B) Section 78  
 (C) Section 79  
 (D) Section 80
72. Who shall be considered as a tenure-holder under the Revenue Code ?  
 (A) Bhumidhar with transferable rights  
 (B) Bhumidhar with non-transferable rights  
 (C) Asami  
 (D) All of the above
73. Bhumidhari rights cannot accrue with respect to which lands ?  
 (A) Khalian and Pasture land  
 (B) Land covered by water and used for the purpose of growing Singhara  
 (C) Industrial land  
 (D) Land acquire for public purpose
74. "No bhumidhari right will accrue in respect of land set apart for public purpose such as manure pit" was held in :  
 (A) Prakash Vs. State of U.P.  
 (B) Rakesh Verma Vs. District Magistrate  
 (C) Parmanand Vs. S.D.M. and three others  
 (D) None of the above
75. Application for declaration of land for industrial purpose by Bhumidhar with transferable rights can be made before :  
 (A) District Magistrate  
 (B) Sub-Divisional Officer  
 (C) Collector  
 (D) Tahsildar

71. राजस्व संहिता, 2006 की कौन-सी धारा प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं कर सकेगा ?  
 (A) धारा 77  
 (B) धारा 78  
 (C) धारा 79  
 (D) धारा 80
72. राजस्व संहिता के अन्तर्गत किसे खातेदार माना गया है ?  
 (A) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर  
 (B) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर  
 (C) असामी  
 (D) उपरोक्त सभी
73. किन भूमियों के संबंध में भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं होगा ?  
 (A) खलिहान और चारागाह  
 (B) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघड़ा उगाने के लिए किया जाता है  
 (C) औद्योगिक भूमि  
 (D) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित है
74. "कोई भूमिधरी अधिकार लोक प्रयोजन के लिए पृथक की गई भूमि जैसे खाद के गड्ढे के सम्बन्ध में प्रोद्भूत नहीं होगा", निर्णीत था :  
 (A) प्रकाश बनाम उ.प्र. राज्य  
 (B) राकेश वर्मा बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट  
 (C) परमानंद बनाम एस.डी.एम. और तीन अन्य  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
75. संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा ?  
 (A) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट  
 (B) उप-खण्ड अधिकारी  
 (C) कलेक्टर  
 (D) तहसीलदार

- |   |  |
|---|--|
| <p>76. Provision regarding jurisdiction of the Board of Revenue is given in :</p> <p>(A) Section 7</p> <p>(B) Section 8</p> <p>(C) Section 10</p> <p>(D) Section 15</p>   | <p>76. राजस्व परिषद की अधिकारिता के बारे में प्रावधान हैं :</p> <p>(A) धारा 7 में</p> <p>(B) धारा 8 में</p> <p>(C) धारा 10 में</p> <p>(D) धारा 15 में</p>  |
| <p>77. Board of Revenue power to distribute its work amongst its members are subject to rules or orders as :</p> <p>(A) State Government may make</p> <p>(B) Central Government may make</p> <p>(C) Board of Revenue may make</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>77. राजस्व परिषद द्वारा अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन है, जो :</p> <p>(A) राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए</p> <p>(B) केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाए</p> <p>(C) राजस्व परिषद द्वारा बनाया जाए</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>78. Who shall be the Chief Controlling Authority with respect to matters relating to revenue cases under the Revenue Code ?</p> <p>(A) District Judge</p> <p>(B) High Court</p> <p>(C) Supreme Court</p> <p>(D) Board of Revenue</p>                       | <p>78. राजस्व संहिता में दिए गए मामलों एवं वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी कौन होगा ?</p> <p>(A) जिला जज</p> <p>(B) उच्च न्यायालय</p> <p>(C) उच्चतम न्यायालय</p> <p>(D) राजस्व परिषद</p>   |
| <p>79. All decisions given by a member sitting singly shall be deemed to be decisions of the board.</p> <p>(A) True</p> <p>(B) False</p> <p>(C) Partly true, Partly false</p> <p>(D) Can not say</p>  | <p>79. एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय, परिषद् के विनिश्चय समझे जायेंगे।</p> <p>(A) सही</p> <p>(B) गलत</p> <p>(C) अंशतः सही, अंशतः गलत</p> <p>(D) कह नहीं सकते</p>   |
| <p>80. Provisions regarding other power of Revenue Officers is given under :</p> <p>(A) Section 9</p> <p>(B) Section 10</p> <p>(C) Section 19</p> <p>(D) Section 20</p>   | <p>80. राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियों के बारे में प्रावधान है :</p> <p>(A) धारा 9 में</p> <p>(B) धारा 10 में</p> <p>(C) धारा 19 में</p> <p>(D) धारा 20 में</p>   |

- |   |  |
|---|--|
| <p>81. Who has obligation regarding maintenance and repair of boundary marks lawfully erected in his holding ?</p> <p>(A) Tenure-holder</p> <p>(B) State Government</p> <p>(C) Collector</p> <p>(D) S.D.O.</p>  | <p>81. अपनी जोत में विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत करने का दायित्व किसका है ?</p> <p>(A) खातेदार</p> <p>(B) राज्य सरकार</p> <p>(C) कलेक्टर</p> <p>(D) उप-खण्ड अधिकारी</p>  |
| <p>82. If there is any dispute regarding boundaries, who is competent authority to decide it ?</p> <p>(A) Tehsildar</p> <p>(B) S.D.O.</p> <p>(C) Collector</p> <p>(D) Civil court</p>   | <p>82. अगर सीमा संबंधी कोई विवाद है, तब उन विवादों के विनिश्चय करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है ?</p> <p>(A) तहसीलदार</p> <p>(B) उप-खण्ड अधिकारी</p> <p>(C) कलेक्टर</p> <p>(D) सिविल न्यायालय</p>   |
| <p>83. What are the bases on which competent authority will decide the dispute regarding boundaries ?</p> <p>(A) Existing survey maps</p> <p>(B) Revised survey maps in accordance of U.P.C.H. Act, 1953</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of these</p>   | <p>83. वे आधार कौन-से हैं जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी सीमा संबंधी विवाद का निस्तारण करेगा ?</p> <p>(A) वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों</p> <p>(B) उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अनुसार पुनरीक्षित सर्वेक्षण नक्शों</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>  |
| <p>84. "This Section 24 prescribes complete code for redressal of grievance of any tenure holder relating to demarcation by boundaries of his tenure" was held in :</p> <p>(A) Anand Kumar Singh and another Vs. State of U.P. and others</p> <p>(B) Prakash Vs. State of U.P.</p> <p>(C) Narendra Bahadur Singh Vs. State of U.P.</p> <p>(D) Ram Achhaibar Singh and another Vs. State of U.P.</p> | <p>84. "धारा 24 किसी काश्तकार के उसकी काश्त की सीमाओं द्वारा सीमांकन से सम्बन्धित शिकायत के प्रतितोष के लिए सम्पूर्ण संहिता विहित करती है", दिया गया है :</p> <p>(A) आनन्द कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य</p> <p>(B) प्रकाश बनाम उ.प्र. राज्य</p> <p>(C) नरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ.प्र. राज्य</p> <p>(D) राम अछैबर सिंह एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य</p> |

85. Who shall have power to maintain a map and a field book (Khasra) for every village ?
- (A) S.D.O  
(B) Tehsildar  
(C) Collector  
(D) Commissioner
86. Provision regarding list of villages has been given in :
- (A) Section 30  
(B) Section 31  
(C) Section 35  
(D) Section 29
87. What are the content of Khatauni ?
- (A) The names of all tenure-holders  
(B) The rent or revenue  
(C) Nature or extent of the respective interest of shareholders  
(D) All of the above
88. Who shall maintain record of rights for each village ?
- (A) Collector  
(B) Record Officer  
(C) S.D.O.  
(D) Tehsildar
89. Record of Rights has been given in :
- (A) Section 25  
(B) Section 28  
(C) Section 31  
(D) Section 32
90. According to code, who are competent authority to make correction of records ?
- (A) Tehsildar, Record Officer, Lekhpal  
(B) S.D.O., Tehsildar, Revenue Inspector  
(C) Board of Revenue, Commissioner, Collector  
(D) State Government
85. प्रत्येक ग्राम के लिए एक मानचित्र और एक खसरा के अनुरक्षण की शक्ति किसके पास है ?
- (A) उप-खण्ड अधिकारी  
(B) तहसीलदार  
(C) कलेक्टर  
(D) आयुक्त
86. ग्रामों की सूची से संबंधित प्रावधान हैं :
- (A) धारा 30 में  
(B) धारा 31 में  
(C) धारा 35 में  
(D) धारा 29 में
87. खतौनी की विषय-वस्तु क्या है ?
- (A) समस्त खातेदारों के नाम  
(B) देय लगान या राजस्व  
(C) शेयरधारकों के संबंधित हितों का प्रकार या विस्तार  
(D) उपरोक्त सभी
88. प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख का अनुरक्षण कौन करेगा ?
- (A) कलेक्टर  
(B) अभिलेख अधिकारी  
(C) उप-खण्ड अधिकारी  
(D) तहसीलदार
89. अधिकार अभिलेख दिया गया है :
- (A) धारा 25 में  
(B) धारा 28 में  
(C) धारा 31 में  
(D) धारा 32 में
90. संहिता के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी कौन हैं, जो अभिलेखों को ठीक कर सकते हैं ?
- (A) तहसीलदार, अभिलेख अधिकारी, लेखपाल  
(B) उप-खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक  
(C) राजस्व परिषद, आयुक्त, कलेक्टर  
(D) राज्य सरकार

91. Which is not the aim and object of U.P. Revenue Code, 2006 ?
- (A) To consolidate and amend the laws relating to land tenures in U.P.
- (B) To consolidate and amend the laws relating to land revenue in U.P.
- (C) To bring unification in land law and remove the obstacles in land matters in U.P.
- (D) To reform the law relating to partnership
92. Definition of 'Abadi' is given in :
- (A) Section 3
- (B) Section 4 (1)
- (C) Section 4 (3)
- (D) Section 4 (7)
93. The term 'Agriculture' includes :
- (A) Horticulture
- (B) Animal husbandry
- (C) Flower farming
- (D) All of the above
94. Definition of 'Grove land' is given in :
- (A) Section 2
- (B) Section 4 (10)
- (C) Section 4 (11)
- (D) Section 4 (13)
95. The term 'Revenue Court' does not include :
- (A) Board of Revenue
- (B) Commissioner
- (C) Collector
- (D) Civil Judge
91. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 का कौन-सा लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है ?
- (A) उ.प्र. में भू-खातेदारी से संबंधित विधियों का समेकन एवं संशोधन
- (B) उ.प्र. में भू-राजस्व से संबंधित विधियों का समेकन एवं संशोधन
- (C) उ.प्र. में भू-संबंधित मामलों में एकरूपता और बाधाओं को दूर करना
- (D) भागीदारी संबंधित विधि में सुधार
92. 'आबादी' की परिभाषा दी गई है :
- (A) धारा 3 में
- (B) धारा 4 (1) में
- (C) धारा 4 (3) में
- (D) धारा 4 (7) में
93. 'कृषि' के अन्तर्गत शामिल है :
- (A) बागवानी
- (B) पशुपालन
- (C) फूलों की खेती
- (D) उपरोक्त सभी
94. 'बाग-भूमि' की परिभाषा दी गई है :
- (A) धारा 2 में
- (B) धारा 4 (10) में
- (C) धारा 4 (11) में
- (D) धारा 4 (13) में
95. 'राजस्व कोर्ट' में शामिल नहीं है :
- (A) राजस्व परिषद
- (B) आयुक्त
- (C) कलेक्टर
- (D) सिविल जज

- |  |   |
|--|---|
| <p>96. Correction of records can be done under :</p> <p>(A) Section 25</p> <p>(B) Section 29</p> <p>(C) Section 32</p> <p>(D) Section 50</p>   | <p>96. अभिलेखों को ठीक करना दिया गया है :</p> <p>(A) धारा 25 में</p> <p>(B) धारा 29 में</p> <p>(C) धारा 32 में</p> <p>(D) धारा 50 में</p>   |
| <p>97. Who will pass an order for correction in map ?</p> <p>(A) Settlement Officer</p> <p>(B) Collector</p> <p>(C) S.D.O.</p> <p>(D) Lekhpal</p>  | <p>97. नक्शा में संशोधन का आदेश कौन पारित करेगा ?</p> <p>(A) बंदोबस्त अधिकारी</p> <p>(B) कलेक्टर</p> <p>(C) उप-खण्ड अधिकारी</p> <p>(D) लेखपाल</p>   |
| <p>98. Whether the claim regarding correction of error in records is based solely on possession as well as intricate question of title shall be maintainable under the code ?</p> <p>(A) Yes</p> <p>(B) No</p> <p>(C) Can't say</p> <p>(D) Subject to Board of Revenue Control</p> | <p>98. क्या अभिलेखों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहाँ दावा एकमात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, संहिता के अन्तर्गत पोषणीय है ?</p> <p>(A) हाँ</p> <p>(B) नहीं</p> <p>(C) कह नहीं सकते</p> <p>(D) राजस्व परिषद के अधिकारिता के अधीन</p>          |
| <p>99. Khasra is also known as :</p> <p>(A) Khatiyani</p> <p>(B) Field book</p> <p>(C) Khatauni</p> <p>(D) Kisan bahi</p>  | <p>99. खसरा को इस नाम से भी जाना जाता है :</p> <p>(A) खतियान</p> <p>(B) फील्ड बुक</p> <p>(C) खतौनी</p> <p>(D) किसान बही</p>   |
| <p>100. Every person obtaining Possession of any land by Succession shall submit report of succession to whom ?</p> <p>(A) Revenue Inspector of the circle in which the land is situated</p> <p>(B) Lekhpal concerned</p> <p>(C) Collector</p> <p>(D) Commissioner</p>             | <p>100. उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराधिकार के संबंध में किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?</p> <p>(A) उस हल्के के राजस्व निरीक्षक को जिसमें भूमि स्थित है</p> <p>(B) संबंधित लेखपाल को</p> <p>(C) कलेक्टर को</p> <p>(D) आयुक्त को</p> |

## **Rough Work / रफ कार्य**

**Example :**

**Question :**

Q.1    (A)    ●    (C)    (D)

Q.2    (A)    (B)    ●    (D)

Q.3    (A)    ●    (C)    (D)

4. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
5. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
6. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
7. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
8. There will be no negative marking.
9. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
10. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
11. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

**Impt.** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

**उदाहरण :**

**प्रश्न :**

प्रश्न 1    (A)    ●    (C)    (D)

प्रश्न 2    (A)    (B)    ●    (D)

प्रश्न 3    (A)    ●    (C)    (D)

4. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
5. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
6. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
8. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
9. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
10. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
11. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

**महत्वपूर्ण:** प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।